संख्या-298 / VI-I / 2009-2(1)2009

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त,
जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण अनुभाग: देहरादून: दिनांक -26 मई 2009

विषय: जिला योजना 2009-10 हेतु प्राविधानित धनराशि जिला युवा कल्याण अधिकारियों के निर्वतन पर रखें जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, युवा कल्याण विभाग के पत्र संख्या-144 / दो-1706 / 08 / 2009-10 दिनांक 14 मई 2009 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-205 / XXVII(I) / 2009 दिनांक 25 मार्च 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु जिला योजना वर्ष 2009-10 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत रू0 35358 हजार (रू0 तीन करोड़ तिरपन लाख अठावन हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या- 30 के अन्तर्गत जिला योजना की धनराशि रू0 4658 हजार (रू0 छियालीस लाख अठावन हजार मात्र)व अनुदान संख्या- 31 के अन्तर्गत जिला योजना की धनराशि रू0 973 हजार (रू0 नौ लाख तिहत्तर हजार मात्र) कुल रू0 40989 हजार (रू0 चार करोड़ नौ लाख नवासी हजार मात्र)आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि हजार रू0 में)

क. सं.	जनपद का नाम	सामान्य	एस0सी0एस0पी0	टी0एस0पी0
1	2	3	4	5
1.	नैनीताल	2720	389	139
2.	उधमसिंह नगर	2720	388	139
3.	अल्मोड़ा	2720	388	—
4.	पिथौरागढ	2720	388	139
5.	बागेश्वर	2720	388	139
6.	चम्पावत	2719	388	—
7.	देहरादून	2720	388	139
8.	पौड़ी	2720	389	—
9.	टिहरी	2720	388	—
10.	चमोली	2720	389	139
11.	उत्तरकाशी	2720	389	139
12.	रूद्रप्रयाग	2719	389	—
13.	हरिद्वार	2720	—	—
	योग-	35358	4658	973

16. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती हैं कि उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-405 / रा.यो0आ0 / 2007-2008 दिनांक 13 नवम्बर 2007 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित

किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिस व्यय करने के लिए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय शासनादेशों में इंगित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को जनपदवार एवं योजनावार आवंटित परिव्यय के अनुसार ही धनराशि व्यय किया जायें।धनराशि व्यय करते समय नियोजन विभाग द्वारा गठित परिव्यय का पूर्ण पालन किया जायेगा।

5. जिला योजना पर व्यय जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति जनपदवार मात्राकृत प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2010 तक पूर्ण उपयोजना कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाये।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान के अन्तर्गत–

(I) अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें–001–निदेशन तथा प्रशासन–91–जिला योजना–9101–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण –42–अन्य व्यय,

(II) अनुदान संख्या–30– लेखाशीर्षक 2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें–001–निदेशन तथा प्रशासन–02--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान –91–जिला योजना–9101–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण –42–अन्य व्यय एवं

(III) अनुदान संख्या–31 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना–91–जिला योजना–9101–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण –42–अन्य व्यय के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्या /VI-I/2009–2(1)2009 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर सचिव,नियोजन/ वित्त, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षकद दल निदेशालय देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड ।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग--3, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय देहरादून।
9– एन0आई0सी0 देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव